



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 27 जनवरी, 2026

माघ 7, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—10

संख्या 44/आठ-10-2026-15ई-2011

लखनऊ, 27 जनवरी, 2026

अधिसूचना

प०आ०-39

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (7) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से अयोध्या विकास प्राधिकरण, जिसके सदस्यों नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, की पुनः संरचना करने की दृष्टि से समय-समय पर यथा-संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-4472/9 आवास-5-96-99 डी0ए0/78 दिनांक 26 नवम्बर, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्:-

अनुसूची

अयोध्या विकास प्राधिकरण

एक	दो	तीन
1	आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या	अध्यक्ष
2	उपाध्यक्ष, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा	उपाध्यक्ष

एक	दो	तीन
3	जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या, गोण्डा, बस्ती	पदेन सदस्य
4	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उनका अनुसचिव की रैंक से अनिम्न नामनिर्देशिती	पदेन सदस्य
5	सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उनका अनुसचिव की रैंक से अनिम्न नामनिर्देशिती	पदेन सदस्य
6	मुख्य नगर एवं ग्राम योजनाकार, उत्तर प्रदेश या उनका नगर योजनाकार की रैंक से अनिम्न नामनिर्देशिती	पदेन सदस्य
7	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश या उनका अधीक्षण अभियन्ता से अनिम्न रैंक का नामनिर्देशिती	पदेन सदस्य
8	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश या उनका अधीक्षण अभियन्ता से अनिम्न रैंक का नामनिर्देशिती	पदेन सदस्य
9	नगर आयुक्त, नगर निगम अयोध्या	पदेन सदस्य
10	अधिसासी अधिकारी, नगर पंचायत, भरतकुण्ड-भदरसा, अयोध्या	पदेन सदस्य
11	अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, गोण्डा	पदेन सदस्य

आज्ञा से,
पी० गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 44/Aath-10-2026-15E-2011, dated January 27, 2026:

No. 44/Aath-10-2026-15E-2011

Dated Lucknow, January 27, 2026

In exercise of the powers under sub-section (7) of Section 4 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) as re-enacted and amended by the Uttar Pradesh President's Acts (Re-enactment with Modifications) Act, 1974 (U.P. Act no. 30 of 1974) read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the Official *Gazette*, is pleased to make the following amendment in Government notification no. 4472/9आवास-5-96-99डी०ए०/78 dated November 26, 1996, as amended from time to time, with a view to restructure the "Ayodhya Development Authority" members whereof are specified in the Schedule below.

AMENDMENT

In the aforesaid notification, for the existing table, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Ayodhya Development Authority

I	II	III
1	Commissioner, Ayodhya Division, Ayodhya	Chairman
2	Vice-Chairman to be appointed by the State Government	Vice-Chairman
3	District Magistrate, Ayodhya, Gonda, Basti	Ex-officio Member

I	II	III
4	Secretary to the Department of Housing and Urban Planning, Government of Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Under Secretary	Ex-officio Member
5	Secretary to the Department of Finance, Government of Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Under Secretary	Ex-officio Member
6	Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Town Planner	Ex-officio Member
7	The Managing Director Jal Nigam, Lucknow, Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Superintending Engineer	Ex-officio Member
8	Engineer-in-Chief, Public Works Department, Lucknow, Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Superintending Engineer	Ex-officio Member
9	Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Ayodhya	Ex-officio Member
10	Executive Officer, Nagar Panchayat Bharatkund-Bhadarsa, Ayodhya	Ex-officio Member
11	Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Nawabganj, Gonda	Ex-officio Member

By order,
P. GURUPRASAD,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 404 राजपत्र-2026 (1251)-599 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।
 पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 14 सा० आवास एवं शहरी नियोजन-2026-(1252)-100 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।